



2026:AHC:58358

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 3419 वर्ष 2026

कन्हैया त्रिपाठी एवं 7 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: जय प्रकाश सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री जय प्रकाश सिंह, तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव चौधरी को सुना गया; उक्त वकालतनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथ-पत्र को भी रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने आवेदन के प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है।

3. आवेदन में जिस राहत का उल्लेख किया गया है, उसका विवरण नीचे दिया गया है:-

"अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) वाराणसी के न्यायालय में लंबित एस.टी. संख्या 148/2019 (राज्य बनाम कन्हैया त्रिपाठी व अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही तथा साथ ही, मुकदमा अपराध संख्या 30/2015, धारा 147, 323, 427, 504, 506 आई.पी.सी. एवं धारा 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट, थाना दशाश्वमेध, जिला वाराणसी में दाखिल आरोप-पत्र दिनांक 28.04.2015 और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-वाराणसी द्वारा इस मामले में पारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संज्ञान आदेश दिनांक 14.05.2015 को भी समझौते के आधार पर रद्द करने की कृपा करे।"

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय, वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायालय में लंबित एस.टी. संख्या 148/2019 (राज्य बनाम कन्हैया त्रिपाठी व अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 30/2015, धारा 147, 323, 427, 504, 506 आई.पी.सी. एवं धारा 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट, थाना दशाश्वमेध, जिला वाराणसी से उत्पन्न है, की कार्यवाही को स्थगित करने की कृपा करे।

और/या ऐसा अन्य और आगे का आदेश पारित करें जो उचित और उपयुक्त प्रतीत हो, अन्यथा आवेदकों को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।"

4. दोनों पक्षों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और इसके अनुपालन में, उन्होंने संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.09.2025 को एक समझौता आवेदन दायर किया है। तत्पश्चात, इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से दोनों पक्षों को समझौते के सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था, साथ ही विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिया था कि वह दोनों पक्षों की उपस्थिति में समझौते का सत्यापन करे और इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया है कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है और विचारण न्यायालय के समक्ष समझौता आवेदन दाखिल किया, जिसका सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से किया जा चुका है, जिसकी प्रति आज दाखिल पूरक शपथ-पत्र के साथ संलग्न है और इसे रिकॉर्ड पर लिया गया है। संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में भेजी गई रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर रखी गई है। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने 23.02.2026 को समझौते का सत्यापन कर दिया है। उक्त रिपोर्ट में विचारण न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि विपक्षी संख्या 2 ने एससी/एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बदले राज्य के खजाने से जो 22,500 रुपये लिए थे, वह फरवरी 2026 के महीने में संबंधित प्राधिकरण को पहले ही वापस कर दिए गए हैं।

6. वर्तमान मामले में, शामिल धाराएँ 147, 323, 427, 504, 506 आई.पी.सी. (I.P.C.) एवं धारा 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि विपक्षी संख्या 2 अब इस आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है।

8. अतः, उपरोक्त के आलोक में और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य; 2003 (4) एससीसी 675, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; राजस्थान राज्य बनाम शंभू केवट, (2014) 4 एससीसी 149; मध्य प्रदेश राज्य बनाम दीपक (2014) 10 एससीसी 285; मध्य प्रदेश राज्य बनाम मनीष (2015) 8 एससीसी 307; जे. रमेश कामथ बनाम मोहना कुरुप (2016) 12 एससीसी 179; मध्य प्रदेश राज्य बनाम राजवीर सिंह (2016) 12 एससीसी 471 और पर्वतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 एससीसी 641 के मामलों में दिए गए सिद्धांतों पर विचार करते हुए, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) वाराणसी के न्यायालय में लंबित एस.टी. संख्या 148 वर्ष 2019 (राज्य बनाम कन्हैया त्रिपाठी और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 30/2015, धारा 147, 323, 427, 504, 506 आई.पी.सी. एवं धारा 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट, थाना दशाश्वमेध, जिला वाराणसी से उत्पन्न है, की संपूर्ण कार्यवाही को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

9. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

20 मार्च, 2026